Written by कुमार सौवीर
Tuesday, 10 July 2018 07:51

**: □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ : □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□: □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ : □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□- □□ :**

□□□□□□ □□□□□□

□□□□ : जिन डॉक्□टरों का श्रीगणेश ही धोखाधड़ी वाली लूप-लाइन यानी चोर-गली से होगा, वे अल्□ट्रासाउंड की मशीन में केवल गैरकानूनी काम ही तो करेंगे□ आपके पास अल्□ट्रासाउंड की डिग्री है या नहीं, अब यह बहस छेड़ने का जमाना बीत चुका है□ डिग्री गयी भाड़ में, अब तो केवल अफसरों की जेब भरने के लि□ झोला-भर नोटों की जरूरत पड़ती है□ इसके बाद फिर धंधेबाजों की पौ-बारह हो जाती है□ पैसा फेंकिये, तमाशा देखिये□ पान-चाय की दूकान की तरह अल्□ट्रासाउंड वाली गुमटी लगा कर नोट छापने की मशीन बन जाइये□ और फिर इसके बाद यह कहने की जरूरत नहीं कि इस तरह सिर्फ और सिर्फ ऐसे गैरकानूनी काम ही किये जा सकते हैं, जिनसे पीसीपी□नडीटी कानून की धज्जियां उड़ जा□ं□

**□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□, □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□:-**

[□□□□□□□□]()

अब यह जग-जाहिर हो चुका है कि वर्तमान समय में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में □मडी रेडियोलोजी की डिग्री के लि□ दो करो□ रुपये तक देकर दाखिला हो जाता है□ और इनमें अधिकांश कॉलेजों में शिक्षा का स्तर घटिया होता है□ इतना ही नहीं, भले ही यह कॉलेज सरकारी क्षेत्र का हो, या फिर निजी क्षेत्र में बने मेडिकल कालेजों का हो, दोनों ही मेडिकल कॉलेजेस में अल्ट्रासाउंड प्रशिक्षण की सुविधा□ं आज भी अपर्याप्त हैं□ इस कारण केवल □मडी रेडियोलोजी की डिग्री होने से ही किसी डॉक्टर को □क काबिल अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ मान लेना सरासर गलत और त्रुटिपूर्ण है□

**□□□-□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□-□□□□□□□ □□□□□□ □□□□, □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□:-**

Written by कुमार सौवीर
Tuesday, 10 July 2018 07:51

[illegible]

जी हां, यह है कन्या भ्रूण संरक्षण और कन्या-भ्रूण हत्या निषेध कानून की जमीनी हकीकत। केवल यूपी ही नहीं, बल्कि पूरे देश में यही हालत चल रही है। गर्भस्थ भ्रूण की स्वास्थ्य-सम्बन्धी असलियत को परखने का मौका न किसी के पास है, और न ही किसी में इतना दम-खम होता है कि वह इसकी जांच कराने की हैसियत जुटा सके। एक गिरोह की तरह संचालित होती हैं अल्ट्रासाउंड मशीनों लगाये व्यापारियों की सड़कछाप दूकानें। धोखाधड़ी, अराजकता और इंसानी-भ्रूण को पेट में ही मार डालने वालों की क्रूर गीदड़ों-चीलों-गिद्धों की जमात। पैसा ही सारे कानूनों का टेंटुआ दबोच देता है। इसके बाद तो जिसका जो भी मन करता है, वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर इस कानून की चिंदियां बिखेर देता है।

**[illegible]:-**

[illegible]

इसका खुलासा तब हुआ जब प्रमुख न्यूज पोर्टल मेरी बिटिया डॉट कॉम ने पूरे देश और खास तौर पर यूपी के सभी जिलों में सरकारी कागजों और वहां दर्ज सूचनाओं का जायजा लिया। मेरी बिटिया डॉट कॉम ने इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों, जिलाधिकारियों, पीसीपीएनडीटी के तहत गठित समिति के पदाधिकारियों, सभी मेडिकल कॉलेजों तथा देश के सभी एम्स और भारतीय चिकित्सा परिषद तथा सभी प्रदेशों के चिकित्सा परिषदों से इस बारे में विस्तृत जानकारियां हासिल करने का प्रयास किया था।

इस प्रयास के तहत जो भी सूचनाएं मिलीं, वे हैरतनाक, आश्चर्यजनक होने के साथ ही प्रशासनिक व सरकारी कामकाज के बेहद अराजक और खतरनाक स्तर तक की थीं। इन सूचनाओं से साफ स्पष्ट होता है कि कन्या भ्रूण के संरक्षण और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ झंडा उठाने वाले पीसीपीएनडीटी कानून के अनुपालन की असलियत क्या है। साफ पता चला है कि जिस कानून को कन्या भ्रूणहत्या रोकने के उद्देश्य के लिए बनाया और लागू कराया गया था, वह अपंग साबित हो रहा है।

**[illegible]:-**

Written by कुमार सौवीर
Tuesday, 10 July 2018 07:51

[illegible]

इन तथ्यों से यह सपष्ट होता है कि [illegible] संख्या में अपनी डग्री के आधार पर रेडियोलाजस्टि कहलाये जाने वाले तथा अल्ट्रासाउंड वशिषज्ञ माने जाने वाले ऐसे डॉक्टर्स का पीसीपी[illegible]नडीटी [illegible]क्ट में रेडियोलाजस्टि की श्रेणी में रजस्टिर्ड होना इस [illegible]क्ट का उल्लंघन है तथा तथ्यों को छुपाकर या अनदेखा कर शासन की आँखों में धूल झोंकने जैसा है[illegible]

[illegible]:-

[illegible]

[illegible]:-

[illegible]-[illegible]